विद्युत मंत्रालय

मांग संख्या 70

विद्युत मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003 आयोजना	बजट 2002-2003 आयोजना-भिन्न	बजट 2002-2003 जोड़	संशोधित 2002-2003 आयोजना	संशोधित 2002-2003 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2002-2003 जोड़	बजट 2003-2004 आयोजना	बजट 2003-2004 आयोजना-भिन्न	बजट 2003-2004 जोड़
राजस्व		727.89	35.60	781.49	754.16	56.00	810.16	676.92	56.84	733.76
पूंजी		*2572.11*	*...*	*2572.11*	*1845.84*	*...*	*1845.84*	*2823.08*	*...*	*2823.08*
जोड़		**3300.00**	**53.60**	**3353.60**	**2600.00**	**56.00**	**2656.00**	**3500.00**	**56.84**	**3556.84**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	2.50	7.16	9.66	2.00	8.00	10.00	1.00	8.24	9.24
विद्युत										
सामान्य										
2. केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण	2801	40.24	35.15	75.39	20.42	35.44	55.86	26.32	35.90	62.22
	4801	...	...	...	1.21	...	1.21	3.14	...	3.14
	जोड़	*40.24*	*35.15*	*75.39*	*21.63*	*35.44*	*57.07*	*29.46*	*35.90*	*65.36*
3. अनुसंधान और विकास										
3.01 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	2801	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	25.00	...	25.00
4. प्रशिक्षण										
4.01 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण अनुसंधान (एन पी टी आई)	2801	13.28	5.72	19.00	13.28	6.81	20.09	24.60	6.70	31.30
5. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	2801	...	4.57	4.57	...	4.75	4.75	...	5.00	5.00
6. विद्युत वित्त निगम को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2801	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00
7. पावरग्रिड निगम को सहायता अनुदान	2801	40.00	...	40.00	110.00	...	110.00	80.00	...	80.00
8. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	2801	50.00	...	50.00	51.21	...	51.21	...	...	...
9. ग्रामीण विद्युतीकरण को ब्याज सब्सिडी	2801	163.87	...	163.87	163.87	...	163.87	100.00	...	100.00
10. एनईईपीसीओ को सहायता	2801	...	...	...	20.38	...	20.38	...	...	...
11. सहायता सामग्री तथा उपस्कर- सकल घटाइए-कार्यात्मक को अंतरण	3606	...	...	...	20.38	...	20.38	...	...	...
मुख्य शीर्ष	3606	...	...	...	-20.38	...	-20.38	...	...	...
निवल -सहायता सामग्री तथा उपस्कर	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. वितरण सुधार के लिए प्रशिक्षण	2801	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
13. एपीडीआरपी प्रोजेक्ट के लिए परामर्श प्रभार	2801	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
14. मूल्यांकन अध्ययन एवं परामर्श सेवा निधि	2801	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
15. ग्रामीण विद्युतीकरण आपूर्ति प्रौद्योगिकी मिशन	2801	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
जोड़-सामान्य		**625.39**	**45.44**	**670.83**	**698.37**	**47.00**	**745.37**	**579.06**	**47.60**	**626.66**
ताप विद्युत उत्पादन										
16. बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र										
16.01 राजस्व व्यय	2801	...	1051.81	1051.81	...	1103.26	1103.26	...	1141.00	1141.00
16.02 घटाइए राजस्व व्यय	2801	...	-1050.81	-1050.81	...	-1102.26	-1102.26	...	-1140.00	-1140.00
निवल व्यय		...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
16.03 बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र का विस्तार	4801	1.00	...	1.00	3.53	...	3.53	...	...	...
	जोड़	*1.00*	*1.00*	*2.00*	*3.53*	*1.00*	*4.53*	*...*	*1.00*	*1.00*
पारेषण और वितरण										
17. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (कुटीर ज्योति)	2801	90.00	...	90.00	45.00	...	45.00	90.00	...	90.00
18. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के विकास के लिए परियोजनाए/योजनाएं	2552	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
	4552	658.67	...	658.67	525.19	...	525.19	933.08	...	933.08
जोड़ - विद्युत		**1385.06**	**46.44**	**1431.50**	**1282.09**	**48.00**	**1330.09**	**1612.14**	**48.60**	**1660.74**
19. सरकारी उद्यमों में निवेश	4801	1887.44	...	1887.44	1290.91	...	1290.91	1886.86	...	1886.86
	6801	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	...	...	...
	जोड़	1912.44	...	1912.44	1315.91	...	1315.91	1886.86	...	1886.86
कुल जोड़		***3300.00***	***53.60***	***3353.60***	***2600.00***	***56.00***	***2656.00***	***3500.00***	***56.84***	***3556.84***

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश										
19.01 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	12801	167.63	3338.37	3506.00	...	2712.00	2712.00	5.00	4496.00	4501.00
19.02 राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम	12801	1341.81	1125.89	2467.70	1169.91	972.83	2142.74	1414.55	1138.58	2553.13
19.03 दामोदार घाटी निगम	12801	...	840.66	840.66	...	973.55	973.55	...	1450.00	1450.00
19.04 पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम	12801	...	175.28	175.28	...	111.92	111.92	...	198.00	198.00
19.05 नाथपा झाकरी तापीय निगम	12801	256.00	397.00	653.00	...	448.89	448.89	...	758.05	758.05
19.06 टिहरी जल विकास निगम	12801	146.00	993.80	1139.80	146.00	872.17	1018.17	467.31	456.98	924.29
19.07 पावर ग्रिड निगम	12801	...	3312.00	3312.00	...	2577.00	2577.00	...	2670.00	2670.00
19.08 विद्युत व्यापार निगम	12801	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
19.09 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पूर्वोत्तर और सिक्किम के विकास के लिए परियोजना/ योजनाएं	12801	658.67	...	658.67	525.19	...	525.19	933.08	...	933.08
जोड़		*2571.11*	*10183.00*	*12754.11*	*1841.10*	*8668.36*	*10509.46*	*2819.94*	*11167.61*	*13987.55*
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय क्षेत्र की आयोजना										
विद्युत	12801	2631.33	10183.00	12814.33	2064.81	8668.36	10733.17	2556.92	11167.61	13724.53
पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	668.67	...	668.67	535.19	...	535.19	943.08	...	943.08
जोड़		**3300.00**	**10183.00**	**13483.00**	**2600.00**	**8668.36**	**11268.36**	**3500.00**	**11167.61**	**14667.61**

1.**सचिवालय** : इसमें विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था है।

2.**केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण** : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रीय विद्युत संसाधनों के नियंत्रण तथा उपयोग के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के क्रियाकलापों के बीच समन्वय करता है। यह विद्युत साधनों का सर्वेक्षण और अध्ययन करने, विद्युत के उत्पादन, वितरण और उपयोग से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने और उनका रिकार्ड रखने तथा विद्युत साधनों के विकास के लिए भी उत्तरदायी है। इसमें तकनीकी नियंत्रण, आयोजना और मानीटरिंग, प्रशिक्षण, डिजाइन और सलाहकारी सेवा, क्षेत्रीय समन्वय, आदि को अद्यतन बनाने पर होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

3.**अनुसंधान और विकास** : केन्द्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर विद्युत पर अनुसंधान करने में लगा हैं। केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में प्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला है तथा यह विद्युत उपस्कर एवं संघटकों के परीक्षण, मूल्यांकन तथा प्रमाणन के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है।

4.**प्रशिक्षण**: इसमें राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, जो विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करने में संलग्न है, पर होने वाले व्यय की व्यवस्था है।

5.**केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग** : टैरिफ मामलों से सम्बन्धित आयोग के कार्यकलापों से संबंधित मामलों पर व्यय की व्यवस्था करता है।

6. **विद्युत वित्त निगम को ब्याज सब्सिडी**: त्वरित उत्पादन और आपूर्ति कार्यक्रम (ए जी एंड सी पी) के अन्तर्गत /विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए राज्य विद्युत निगम, उत्पादन योजनाओं, लुप्त पारेषण सम्पर्कों आदि को ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

7.**पावरग्रिड को सहायता अनुदान** : पूर्वोत्तर राज्य में एकीकृत भार प्रेषण केन्द्र की स्थापना के लिए।

9. **ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ब्याज सब्सिडी :** ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राज्य विद्युत बोर्डो को व्यापक सब्सिडी प्रदान की जानी है ।

12. वितरण सुधारों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता : सुधार कार्यक्रमों का दीर्घावधि तक जारी रहने के लिए क्षेत्र स्तर तक दक्षता प्राप्त एवं प्रशिक्षित वितरण प्रबंधकों की आवश्यकता होती है ताकि विद्युत वितरण क्षेत्र में जवाबदेही, ऊर्जा लेखापरीक्षा तथा नवीनतम प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को सुनिश्चित किया जा सके। अतः इस स्कीम को बजट में शामिल कर लिया गया है । वर्ष 2003-04 के दौरान 5 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है ।

13. **(एपीआरडीपी) परियोजनाओं के लिए परामर्शी प्रभार** : पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने के लिए एपीआरडीपी के अधीन सलाहकार एवं परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु एक प्रस्ताव बनाया गया है, बिल संबंधी कार्य एवं राजस्व वसूली में सुधार के लिए जीआईएस मैपिंग, एससीए सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता सूचकांक, डीए/ डीएमएस आदि के क्षेत्रों में नयी प्रौद्योगिकियों की तथा वितरण क्षेत्र की बहाली हेतु अपनाना अपेक्षित है । 5 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है ।

14. **मूल्यांकन अध्ययन तथा परामर्श सेवा हेतु निधियाँ** : उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क जिसमें ऊर्जा लेखाकरण एवं मीटर व्यवस्था शामिल है, के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण संबंधी विशेष परियोजनाओं के मूल्यांकन का एक प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत वितरण क्षेत्रो में निधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाना है । इसके लिए सलाहकार एवं परामर्शदाताओं और राज्य विद्युत सुविधाओं के बीच तारतम्य होना आवश्यक होगा जिसके लिए तीव्र संचार हेतु पीसी, इंटरनेट सुविधाओं, टेलीफोन आदि के मामलें में आधारभूत ढांचा सेवाओं की, स्वीकृत नगरों/ शहरों एवं सर्कलों में की जाने वाली नियमित यात्राओं के साथ, आवश्यकता होगी । इसके लिए वर्ष 2003-04 में 5 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया है ।

15. **ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रौद्योगिकी मिशन (रेस्ट मिशन)** : "रेस्ट" मिशन का उद्देश्य ऐसी प्रौद्योगिकियों की पहचान करना है जो अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, विनिर्माताओं, उद्यमियों, अन्य जोखिम धारकों से तालमेल कर सके ताकि भारत में गांवों को उचित दरों पर गुणवत्ता वाली विद्युत प्रदान की जा सके । इस प्रयोजनार्थ नए प्रौद्योगिकीय समाधानों की खोज आवश्यक है । वर्ष 2003-04 के दौरान 5 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है ।

17. **कुटीर ज्योति कार्यक्रम** : हरिजनों और आदिवासियों सहित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण निर्धनों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार ने समाज के निर्धन वर्गों के घरों में एकल प्वाइंट बिजली के कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्ष 1989 में 'कुटीर ज्योति' योजना शुरु की। कुटीर ज्योति कार्यक्रम के लिए वर्ष 2002-03 में ब.अ. 100 करोड़ रुपए है। वर्ष 2001-2002 के दौरान सितम्बर, 2001 तक 75599 कनेक्शन जारी किए गए थे । कुटीर ज्योति कार्यक्रम हेतु ब. अ. 2002-03 में 100 करोड़ निर्धारित किए गए है ।

19. **सरकारी उद्यमों में निवेश** :

19.01 **नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन टी पी सी)** : केन्द्रीय क्षेत्र में एन.टी.पी.सी. की स्थापना नवम्बर, 1975 में केन्द्रीय क्षेत्र में एक ताप विद्युत उत्पादन कम्पनी के रूप में की गई जिसका मुख्य उद्देश्य कोलपिट हेड में सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना था। 31.1.2003 की स्थिति के अनुसार निगम ने कुछ 20935 मेगावाट की क्षमता चालू की है। एन टी पी सी इस समय 20 परियोजनाओं13 तापीय विद्युत परियोजनाओं और 7 गैस पर आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजनाओं का संचालन कर रहा है । वर्ष 2002-03 में

सरकार ने निगम की नई योजनाओं के लिए बजटीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है । लेकिन उनके लिए कोई निधि जारी नहीं की गयी । एनटीपीसी के लिए वर्ष 2003-04 हेतु 5.00 करोड़ रूपए की सांकेतिक व्यवस्था की गयी है ।

19.02 **नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन. एच. पी. सी.)**: नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी.) की स्थापना केन्द्रीय क्षेत्र में पन बिजली परियोजनाओं के तीव्र, सक्षम और कम स्वर्चीले रूप से पूरा करने और प्रचालित करने की दृष्टि से वर्ष 1975 में की गई थी। कारपोरेशन ने अभी तक 8 पन बिजली परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया है और सितम्बर, 2002 के अन्त तक इन परियोजनाओं को पूरा करके अतिरिक्त 2254.35 मेगावाट सृजन क्षमता की वृद्धि की है। कारपोरेशन इस समय जम्मू और कश्मीर में दुलहस्ती परियोजना (390 मेगावाट), उ. प्र. में धौलीगंगा परियोजना, चरण- I (280 मेगावाट),हिमाचल प्रदेश में चमेरा चरण-II (300 मेगावाट), सिक्किम में तीस्ता, चरण-V (510 मेगावाट)मणिपुर में लोकतक अधोप्रवाह (90 मेगावाट), के निर्माण कार्य में संलग्न है । एनएचपीसी कालपोंग तथा कुरिचु परियोजनाओं का भी एजेंसी आधार पर निष्पादन कर रहा है ।

19.03 **दामोदार घाटी निगम (डी. वी. सी.)** : डी.वी.सी की स्थापना जुलाई, 1948 में दामोदर घाटी में सिंचाई, जलापूर्ति, अपवहन, तापीय और पन-बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए स्कीमों के संवर्धन और प्रचालन के लिए की गई थी।

19.04 **पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम (एनईईपीसीओ)** : पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत केन्द्रों को तैयार करने, उन्हें प्रोत्साहन देने, अनुसंधान, सर्वेक्षण, डिजाइन, निर्माण, उत्पादन, संचालन तथा उन्हें बनाए रखने के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत 2 अप्रैल, 1976 को पंजीकृत किया गया था । निगम ने (कोपीली जल विद्युत परियोजना से 150 मेगावाट; कोपीली जल विद्युत परियोजना प्रथम चरण विस्तार से 100 मेगावाट, डोयांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड से 75 मेगावाट, अरूणाचल प्रदेश में रंगानदी जल विद्युत परियोजना से 405 मेगावाट, असम गैस आधारित संयुक्त चक्र परियोजना से 291 मेगावाट तथा अगरतला गैस टरबाइन विद्युत परियोजना से 84 मेगावाट संचालन सहित) 1105 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता प्राप्त की है ।

19.05 **नाथपा झाकरी विद्युत निगम (एन. जे. पी. सी.)** : हिमाचल प्रदेश के सतलुज बेसिन में जल विद्युत पॉवर परियोजनाओ की योजना बनाने, संवर्धन करने, संचालन करने, निष्पादन करने, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण के लिए मई, 1988 में निगमित किया गया था। निगम वर्तमान में नाथपा झाकरी एच.ई.पी (1500 मैगावाट) संचालित कर रहा है। यह परियोजना भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम है। दोनों भागीदार परियोजना की लागत को क्रमशः75:25 के अनुपात में बांटेंगे।

19.06 **टिहरी पन बिजली विकास निगम (टी.एच.डी.सी.)** : टिहरी पन-बिजली विकास निगम टिहरी में भागीरथी नदी और इसकी सहायक नदियों के पन-बिजली संसाधनों और अनुप्रवाह के एकीकृत और कुशल उपयोग के लिए जुलाई, 1988 में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया था । टिहरी पन बिजली विकास निगम को टिहरी पन बिजली परिसर के निर्माण का काम दिया है जिसमें (क) टिहरी बांध और एच. ई. परियोजना चरण ? (1000 मैगावाट, (ख) कोटेश्वर बांध और एच. ई. परियोजना (400 मैगावाट) और (ग) टिहरी पंप भंडारण परियोजना (1000 मैगावाट) शामिल हैं । फिलहाल यह निगम टिहरी बांध और एच.ई. परियोजना चरण ? (1000 मैगावाट) और कोटेश्वर बांध एच. ई. परियोजना (400 मेगावाट) पर काम कर रहा है ।

19.07 **पावर ग्रिड कारपोरेशन** : पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को सुदृढ़ वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार पर विश्वसनीयता, सुरक्षा एवं मितव्ययिता के साथ क्षेत्र के अन्दर एवं बाहर विद्युत अन्तरण को सरल बनाने के लिए क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित एवं संचालित करने हेतु 1989 में निगमित किया गया था। संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अनुसार एन. टी. पी. सी., एन. एच. पी. सी., एन. ई. ई. पी. सी. ओ. तथा एन. एल. सी. को पारेषण प्रणाली अप्रैल, 1992 से पी. जी. सी. आई. एल. को हस्तांतरित कर दी गई। पावरग्रिड पारेषण नेटवर्क, देश में उत्पादित कुल विद्युत का लगभग 40 प्रतिशत आगे भेजता है।